उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये अनुदान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने **वित्तीय वर्ष 2024-25** के दौरान **पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़** में **ग्रामीण स्थानीय निकायों** के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) का अनुदान जारी किया है।

- ये अनुदान पंचायती राज संस्थाओं (PRI) **और** ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को सहायता देकर **ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं।**

प्रमुख बिंदु

- **XV FC अनुदान:**
  - **सरकार ने उत्तराखंड के लिये वित्त वर्ष 2024-25 के लिये अनटाइड अनुदान** की पहली किस्त, 93.9643 करोड़ रुपए जारी कर दी है।
  - **सरकार ने पंजाब** में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 225.1707 करोड़ रुपए की अनटाइड **अनुदान** की पहली किस्त जारी कर दी है।
  - **सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिये** वित्त वर्ष 2024-25 के लिये 237.1393 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त वितरित की है।
- **अनुदान आवंटन की प्रक्रिया:**
  - **पंचायती राज मंत्रालय** और जल शक्ति मंत्रालय **(पेयजल और स्वच्छता विभाग)** ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये XV FC अनुदान की सिफारिश करते हैं।
  - वित्त मंत्रालय इन अनुदानों को प्रति वित्तीय वर्ष दो किस्तों में जारी करता है।
- **XV FC अनुदान का उपयोग:**
- **अप्रतिबंधित अनुदान:**
  - पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण स्थानीय निकाय इन अनुदानों का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध **29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये कर सकते हैं।**
  - इन अनुदानों का **उपयोग वेतन और स्थापना लागतों के लिये नहीं किया जा सकता।**
- **बंधे हुए अनुदान:**
  - इन निधियों का **उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिये किया जाना चाहिये,** जिनमें शामिल हैं:
    - स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति का रखरखाव, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़ उपचार शामिल है।
    - पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

वित्त आयोग

- यह एक संवैधानिक निकाय **है,** जो संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार **केंद्र और राज्यों** के बीच तथा राज्यों के बीच **कर आय के वितरण की विधि और नियम निर्धारित करता है।**
- संविधान के **अनुच्छेद 280 के** तहत भारत के राष्ट्रपति को पाँच वर्ष के अंतराल पर या उससे पहले एक **वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।**
- प्रथम वित्त आयोग **की** स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी और अब तक पंद्रह **वित्त आयोग स्थापित** हो चुके हैं।

15वाँ वित्त आयोग

- **एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग** का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को **योजना आयोग की समाप्ति और** वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने की पृष्ठभूमि में किया गया था।
- नवंबर 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग **को** पहले **वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने** और वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिये अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिये इसके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी

थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/grants-for-rural-local-bodies-in-uttarakhand